विलोपित–विलोपित

माननीय न्यायालय आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर

अपील–0873/2019/दतिया/

प्रकरण कमांक ------/2019 अपील

हरीराम सिंह यादव पुत्र श्री आशाराम आयु 56 वर्ष, व्यवसाय खेती व नौकरी निवासी ग्राम उडीना परगना भाण्डेर जिला दतिया

--अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती ईमरती देवी पत्नी श्री हुकमुमसिंह यादव आयु 62 वर्ष निवासी ग्राम उडीना परगना भाण्डेर जिला दतिया
2. तहसीलदार भाण्डेर जिला दतिया म0प्र0

--प्रत्यर्थीगण

श्री ______ द्वारा आज दि० 8-8-19 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 20-8-19 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

अपील अन्तर्गत धारा 44 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 18.05.2017 एवं आदेश दिनांक 04.01.2018 जो कि बंटवारा प्रकरण कमांक 4/बी–121/2016–17 माननीय अपर कलेक्टर जिला दतिया एवं खसरा अमल दिनांक 21.12.2018

20/8/19

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से अपील सादर निम्नप्रकार प्रस्तुत हैः–

1. यहकि, अपीलार्थी के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी भूमि पूर्व सर्वे कमांक 2179, 2180 एवं 2187 ग्राम निवासी ग्राम उडीना परगना भाण्डेर जिला दतिया कुल रकबा 1.63 हेक्टेयर स्थित है उक्त भूमि सर्वे कमांक का वर्श 2000 में बन्दोबस्ती के दौरान एक संयुक्त रकबा सर्वे कमांक 1404 निर्मित किया गया जिसमें कुल रकबा 1.65 हेक्टेयर नियमानुसार तथा विधिताः सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर राजस्व रिकार्ड तथा नक्शा व पटवारी रिकार्ड में अपीलार्थी के नाम से अंकित किया गया।
2. यहकि, उक्त के पश्चात अपीलार्थी की उपरोक्त भूमि सर्वे कमांक 1404 से लगे हुए सर्वे कमांक 1386 में अपीलार्थी के भाई हुकुमसिंह यादव की पत्नी श्रीमती इमरती देवी/प्रत्यर्थी के नाम रकबा 0.62 हेक्टेयर उक्त

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील–0873/2019/दतिया/भू.रा.

हरीराम सिंह यादव विरूद्ध श्रीमती ईमरती देवी व तहसीलदार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22–08–2019	आवेदक अभिभाषक श्री हृदेश सोनी उपस्थित। उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रकरण अपर कलेक्टर दतिया के आदेश दिनांक 21–12–2018 के विरूद्ध आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष पेश किया जाना था, जो त्रुटिवश इस न्यायालय में पेश कर दिया गया है। मूल अपील भी आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर को इंगित है। अतः अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापस किया जाये। इस बीच व्यतीत हुये समय की गणना समय–सीमा में करने हेतु निर्देशित किया जाये। 2/ आवेदक अभिभाषक के निवेदन पर विचार किया गया तथा प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह अपील प्रकरण अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाने हेतु प्रेषित किया गया था, जो पक्षकार की त्रुटि से इस न्यायालय में प्रस्तुत हो गयी है। अतः आवेदक अभिभाषक का तर्क सदभाविक मानते हुये प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापस किया जाता है। इस न्यायालय में व्यतीत हुये समय की गणना समय–सीमा में की जाये। (जे0के0 जैन) सदस्य	